न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 133/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– पुखाराम पुत्र बींजाराम 2– कालूराम पुत्र प्रतापराम जातियान जाट निवासी नया गांव तहसील सोजत जिला पाली 3– मांगीलाल पुत्र मोहनलाल जाति सैन निवासी नया गांव तहसील सोजत जिला पाली 4– भूराराम पुत्र घीसाराम जाति सेवदा 5– पुखराज पुत्र लाबूराम जाति सेवदा 6– रामाराम पुत्र गिरधारी जाति देवासी 7– हरीराम पुत्र बींजाराम जाति रणवा, सभी निवासीगण नया गांव तहसील सोजत जिला पाली		1– श्रीमती चांदकंवर पत्नी बंशीधर जाति ब्राह्मण निवासी नया गांव, तहसील सोजत जिला पाली 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत जिला पाली परफोर्मा पक्षकार: 1– मांगीलाल पुत्र भोपालराम 2– सोनाराम पुत्र भोपालराम 3– हडमानराम पुत्र देवाराम 4– प्रतापराम पुत्र देवाराम 5– पुखाराम पुत्र भीखाराम 6– दीपाराम पुत्र भीखाराम 7– ढगलाराम पुत्र भीखाराम समस्त जातियान देवासी, निवासीगण नया गांव, तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 29–11–2018 जो राजस्व प्रकरण संख्या 1/2015 अनवान पुखाराम वगैरा बनाम चांदकंवर वगैरा मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1– श्री शंकर सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री विक्रम सिह चाडवास अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– प्रफोर्मा पक्षकार की ओर से कोई उपस्थित नही ।
4– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 22–7–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम नया गांव तहसील सोजतके खसरा नंबर 496 मे से 0.95 हेक्टेयर भूमि दिनांक 26–6–1989 को भूमि आवंटन सलाहकार कमेटी ने वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती चांदकंवर पत्नी बंशीधर ब्राह्मण निवासी नया गांव को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम) 1970 के तहत नियम विरूद्ध आवंटन कर दिया तथा बिना भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किये ही राजस्व रेकर्ड मे रेस्पा0 संख्या 1 का नाम खातेदारी मे दर्ज कर दिया। उक्त आवंटन को निरस्त करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट एवं प्रफोर्म रेस्पो0गण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को नोटिस जारी कर बाद पक्षकारान की सुनवाई के अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर उक्त आवंटन आदेश दिनांक 26–6–1989 की अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–11–2018 के द्वारा पष्टि कर दी । जिसके विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट एवं प्रफार्मा रेस्पो0गण का विवादग्रस्त भूमि पर भौतिक रूप से वर्षो से कब्जा है तथा उक्त भूमि पर रहवासीय मकान आदि बने हुए है तथा उक्त भूमि का अपने परिवार सहित निवास करते हुए उपयोग उपभोग करते आ रहे है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका निरीक्षण किये ही तथा उक्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 भूमिहीन कृषक की श्रेणी मे नही आती है क्योकि रेस्पो0 संख्या 1 भूमि आवंटन के समय शादीसुदा थी तथा उसके पति वक्त आवंटन भारतीय रेलवे मे जी.आर.पी.एफ. मे सब इन्सपेक्टर के पर पर नियोजित था फिर भी रेस्पो0 संख्या 1 ने इस तथ्य को छुपाते हुए अकेली के नाम से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त भूमि का आवंटन करवा लिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि खसरा नंबर 496 की विवादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम नया गांव की आबादी भूमि से चिपते हुए होने से रिजर्व भूमि है और नियम 1970 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रिजर्व भूमि का आवंटन नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 के पक्ष मे किया गया आवंटन नियम 13 (1) (1) कमेटी के पूर्ण कॉरम के अभाव मे किया गया था तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर वक्त आवंटन अपीलांट एवं प्रफार्मा रेस्पो0 का कब्जा होने से आवंटन योग्य नही थी परंतु आवंटन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट तैयार नही की गई इसलिए उक्त आवंटन निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि आवंटन नियम 1970 के नियम 5 के तहत आक्यूपाईड लेण्ड एवं अन आक्यूपाईड लेण्ड की लिस्ट तैयार करनी होती है, जो फार्म नंबर 1 के अनुसार तैयार कर उक्त भूमि का निरीक्षण कर संबंधित ग्राम पचायत एवं फोरेस्ट विभाग को भेजी जाती है तथा उक्त लिस्ट जिला कलेक्टर को सिफारिश हेतु भेजी जाती है जिस पर भूमि को सेट अपार्ट का आदेश पारित कर राज्य सरकार को अनुशषा हेतु भेजता है एवं इसका प्रकाशन किया जाता है । उक्त कार्यवाही होने के बाद पुनः आवंटन कमेटी को भेजा जाता है परंतु वर्तमान मामले मे उक्त कार्यवाही किये बिना ही नियम एवं विधिविरूद्ध एक ही दिन मे आवंटन की कार्यवाही कर दी गई । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने आवंटन आदेश के तीन वर्ष की अवधि मे न तो भौतिक कब्जा प्राप्त किया और न ही उक्त भूमि पर कोई काश्त आदि नही की और न ही भौतिक रूप से काबिज रहे है जबकि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट एवं प्रफार्मा रेस्पो0 का आज भी भौतिक कब्जा काश्त है तथा मौके पर मकानात आदि बने हुए है तथा अपने परिवार सहित निवास कर रहे है जिसके संबंध मे अपीलांट ने अपनी अपील के साथ मौके के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उपरोक्त तमाम तथ्यो से प्रकट है कि

अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधि की पालना किये, बिना मोके एवं कब्जे काश्त की जांच किये, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे फार्म नंबर 3 के सलंग्न अपीलाधीन भूमि के संबंधित दस्तावेजात पेश किये, जो शामिल पत्रावली है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए किया कि रेस्पो0 संख्या 1 चांदकवर को विधिवत आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 26–6–89 को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम) 1970 के तहत राजस्व ग्राम नया गांव तहसील सोजत के खसरा नबर 496 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था तब से ही रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त भूमि पर मकान बना हुआ है तथा वह उसमे निवास कर रही है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि उक्त आवंटन को निरस्त करवाने के लिए अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय मे वर्ष 2015 मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम) 1970 के तहत प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद पक्षकारान की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29–11–2018 के जरिये अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र खारीज कर देने के बाद भी अपीलांटगण ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष वर्ष 2020 मे लगभग 2 वर्ष के विलंब से अपील प्रस्तुत की है जो मयाद बाहर होने से खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 को वर्ष 1989 मे आवंटित भूमि को निरस्त करवाने बाबत अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2015 मे लगभग 26 वर्ष के विलंब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि इतने लंबे समय के बाद आवंटी का आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने माननीय राजस्व मण्डल द्वारा 2007 (2) आर.आर.टी. पेज 1430 एवं 2007 (1) आर.आर.टी. पेज 397 की निर्णय नजीरे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि पर कब्जा मेरा है तथा एवीडेन्स एक्ट की सेक्शन 90 अनुसार इतने पुराने दस्तावेज को सही माना जायेगा इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि मेरा मकान मेन रोड पर आया हुआ है तथा उक्त भूमि अवाप्त होने के कारण मुझे मेरे मकान का मुआवजा मिल रहा है इसलिए अपीलांटगण ने मेरे आवंटन को निरस्त करवाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो प्रार्थना पत्र खारीज हो जाने पर वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । वकील अपीलांट द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलांट का पुराना कब्जा व मकान मौके पर होना प्रतिवेदित किया है तथा अपीलांटगण का खसरा नंबर 496 किस्म गै.मु.खडा पर अतिक्रमण होना बताते हुए अपीलांटगण के विरूद्ध वर्ष 1987 मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस भी दिया जाना पाया जाता है, जो आवंटी के आवंटित भूमि पर लंबे समय से कब्जे काश्त पर प्रश्नचिन्ह लगाता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे आवंटन की शर्तो की पालना की विधिवत जांच का अभाव पाया गया है । लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–11–2018 को निरस्त करते हुए पुनः पक्षकारो की विधिवतः सुनवाई एवं जांच पश्चात प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को रिमाण्ड किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22–7–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर